वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand (India)
Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांकः 355/अस्थाई सम्बद्धता आदेश/2026 दिनांकः 30.04.2026

सेवा में,

निदेशक,
कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
सिंहनीवाला, शिमला रोड़, देहरादून।

विषयः– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिंहनीवाला, शिमला रोड़, देहरादून संस्थान को बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22 से 2025–26 हेतु अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिंहनीवाला, शिमला रोड़, देहरादून संस्थान को राजभवन सचिवालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2021–22 से 2025–26 तक सम्बद्धता आदेश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त सम्बद्ध संस्थान को राजभवन सचिवालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश एवं विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के अनुमोदन के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विषयांकित संस्थान को अस्थाई सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जा रहा है, जो कि निम्नवत शर्तो के अधीन हैः–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	शैक्षिक सत्र 2021–22 से 2025–26 हेतु प्रवेश क्षमता (सीट)	
		2021–22	2022–23 से 2025–26
कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सिंहनीवाला, शिमला रोड़, देहरादून	**B.Pharma**	60	100

1. संस्थान में मानकानुसार फैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान के साथ–साथ संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में संस्थान की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।
3. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में नियामक संस्थान/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्थान के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
5. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

क्रमशः 2

6. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉप यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
7. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाईट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उल्लेख के साथ-साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकॉपी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाईट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
10. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।
11. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा। पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
12. यदि भविष्य में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध कोई भी शिकायत अथवा ऐसा प्रकरण विश्वविद्यालय के प्रकाश मे लाया जाता है, तो सम्बन्धित संस्थान की नियमानुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
13. प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह संस्थान को मान्य होगा और तद्नुसार संस्थान द्वारा प्राभूति राशि की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(डॉ0 राजेश उपाध्याय)
कुलसचिव

(डॉ0 राजेश उपाध्याय)
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
देहरादून, उत्तराखण्ड

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति महोदय, राजभवन उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा0 कुलपति को कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 राजेश उपाध्याय)
कुलसचिव